झारखण्ड अधिविद्य परिषद,राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Gyandeep Campus, Bargawan,
Namkum, Ranchi – 834010
Ph.:- 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ,
नामकुम, राँची – 834010
फोन : 0651–6453342,6453343,
6453344, 6453345
Website: www.jac.nic.in
Fax: 0651- 2261999

पत्रांक / Ref. JAC/PTT/1265/18-Secy 331/19 राँची, दिनांक / Date 24/06/19

प्रेषक,

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
Rajeev Gandhi Memorial Teachers
Training College, Vill.-Nunudih, Patherdih,
Dhanbad.

विषय :– PTT (D.EL.Ed) कोर्स के सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर के पत्रांक ER-263.6.12/ERCAPP3209/D.El.Ed./2018/58567 दिनांक 30.11.2018 के आलोक में परिषद् के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को PTT (D.EL.Ed) (Addl. Intake) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु Examinee Body के रूप में शिक्षा सत्र 2019–2020 से निम्नांकित शर्त्तों के अधीन औपबंधिक रूप से परीक्षा आयोजन के निमित्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(क) संबंधित संस्था विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्य कर संचालित करेंगे।

(ख) सत्र प्रारम्भ के 06 माह के अन्दर नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची जिसमें उनके पिता/पति का नाम स्थायी पता एवं जन्म तिथि की प्रविष्टि हो परिषद् कार्यालय में निश्चित रूप से जमा करेंगे।

(ग) महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं का नामांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/आरक्षण आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत मेधाक्रम में ही किया जायेगा।

(घ) भविष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियम/विनियम द्वारा यथा निर्धारित किसी भी शर्त्त का पालन नहीं किये जाने एवं प्रतिकूल आदेश प्राप्ति की स्थिति में यह सम्बद्धन रद्द कर दिया जायेगा एवं महाविद्यालय उस सत्र से प्रशिक्षुओं का नामांकन नहीं कर सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति में शिक्षा सत्र 2019–2020 के प्रशिक्षुओं का नामांकन करते हुए नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची छः माह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

अनुलग्नक –

1. झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 2479 दिनांक 19.10.2011
2. झारखण्ड सरकार, मा0सं0वि0 विभाग के पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004

विश्वासभाजन

24/6

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

PTT Letter G.S

पत्रांक– 8/प04-07/2011–2479

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,
डा0 डी0 के0 सक्सेना,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा,
झारखण्ड।

सेवा में,
सभी क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक,
झारखण्ड।

रॉची, दिनांक– 19/10/11

विषयः– प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु न्यूनतम योग्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या No. F.51/2009-NCTE(N&S), दिनांक 31.08.2009 द्वारा द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलेमेंट्री टीचर एडुकेशन (D.El.Ed.) कोर्स में नामांकन के लिए निर्धारित अहर्ता निम्नवत् है:–

a. Candidates with at least 50% marks in the senior secondary (+2) or its equivalent examination are eligible for admission.

b. The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government/State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favor of SC/ST/OBC and other categories of candidates

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद् द्वारा द्विवर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु निर्धारित अहर्ता के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1382, दिनांक 20.05.2004 में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

तदनुसार, निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय संसूचित किये जाने तक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए चयन एवं नामांकन की प्रक्रिया स्थगित रखी जाये।

विश्वासभाजन

15/10/11
(डी0 के0 सक्सेना)
निदेशक, (प्रा0 शि0)

पत्रांक 01 / व 1–05 / 2004 1392

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

<u>संकल्प</u>

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त
राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों / जिला
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) / शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी० पी० एड०, बी० पी०
एड० सहित) तथा निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित)
में नामांकन प्रक्रिया का निर्धारण।

राज्य सरकार राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं प्रसार हेतु
कृतसंकल्प है तथा अन्य राज्यों की भांति शैक्षिक उन्नयन, विकास एवं प्रसार हेतु अनेक
प्रभावी कदम उठाये गये है।
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के
निर्धारण हेतु [illegible] संकल्प संख्या 6 / व 1–287 / 2001–793 दिनांक 17.03.2003 के
आलोक में राज्य के चार राजकीय महाविद्यालय, राँची, देवघर, हजारीबाग एवं रा० महिला
शि० प्र० महाविद्यालय, बरियातु, राँची में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त
मान्यता के आधार पर शैक्षिक सत्र 2002–2003 के लिए प्रत्येक महाविद्यालयों में 100
छात्र / छात्राओं की नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर (एन० सी० टी० ई०) द्वारा उनके पत्रांक जा० एच० आर०
/ एन० 7 / 2003 / 1924 दिनांक 24.09.2003 के द्वारा सूचित किया गया है कि एक बार
मान्यता मिलने के बाद एन० सी० टी० ई० द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप प्रशिक्षण
कार्यक्रम चलाने की मान्यता आगे भी जारी रहेगी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना संख्या फा० स० 9–18 / 2002 रा० अ० शि०
प० दिनांक 13.11.2002 एवं फा० फ० स० 48–6 / 2003 रा० अ० शि० प० (एन० एड एस)
दिनांक 6.6.2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के चारो बी० एड०
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन प्रारंभ के साथ ही राज्य में अवस्थित
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय
/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) / शारीरिक शिक्षा संस्थानों (सी० पी० एड०
/ बी० पी० एड० सहित) तथा एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त निजी एवं अल्पसंख्यक

दाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक
शिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में नामांकन हेतु योग्यता, चयन प्रक्रिया,
सीमा, नामांकन शुल्क, पाठ्यक्रम, सीटों के बँटवारा की प्रक्रिया में एकरूपता बनाए
ने की अपरिहार्यता के तहत राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है:–

नामांकन : उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन पूर्णतः मेधा सूची के आधार पर होगा। यह मेधा सूची राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु प्रावधानित आरक्षण के अनुरूप सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अनु० जन जा०/अनु० जा० के लिए अलग–अलग तैयार की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्गों के आवेदकों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित फोटो प्रति) संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। महिला प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थानों में मात्र महिला उम्मीदवार ही नामांकन के पात्र होंगे।

2. **चयन समिति** :

क. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी० एड० कोर्स में नामांकन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी :–

(i)	क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक	–	अध्यक्ष
(ii)	प्राचार्य/प्राचार्या संबंधित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	–	संयोजक सदस्य
(iii)	संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य

ख. राजकीय प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (जिला प्रशिक्षण संस्थानों डायट) में नामांकन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी :–

(i)	प्रमंडलान्तर्गत अथवा निकटस्थ अवस्थित राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या	–	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक	–	सदस्य
(iii)	संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या	–	संयोजक सदस्य

ग. निजी एवं अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शारीरिक शिक्षा सहित) में सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रबंध समिति एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित सीटों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाई गई मेधा सूचि के आधार पर नामांकन कर सकेगी।

समिति एन. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित सीटों के विरुद्ध नामांकन हेतु [illegible] मेरिट सूची तैयार करेगी। मेधा सूची मापदण्ड के अनुसार मेधा सूची तैयार एवं कोटिवार तैयार करेगी। मेधा सूची के अतिरिक्त [illegible] संवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी होगी। यदि चयनित सूची के अभ्यर्थी [illegible] अवधि के अन्दर नामांकन हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रतीक्षा सूची [illegible] उम्मीदवार को क्रमानुसार संवर्गवार / कोटिवार आमंत्रित किया जाएगा। चयन सूची [illegible] प्रतीक्षा सूची पर आधारित, राजीनामा एवं समिति के [illegible] का [illegible]

[illegible] होगा। [illegible] शैक्षणिक सत्र के लिए मान्य होगी तथा अगले शैक्षणिक सत्र [illegible]

यह सूची मात्र उसी शैक्षणिक सत्र के लिए [illegible] कोई मान्यता नहीं दी जाएगी।

[illegible] द्वारा चयन सूची / प्रतीक्षा सूची को कोई [illegible]

[illegible] प्राप्ति हेतु अभ्यर्थियों की वांछित शैक्षणिक योग्यता

एक वर्षीय बी० एड० प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए :–

एक वर्षीय बी० एड० प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने पात्र होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर दो स्कूली विषयों सहित कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए :–

दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / परिषद से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (12) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। [illegible]

दो वर्षीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रमाण पत्र (सी० पी० एड०) के लिए :–

दो वर्षीय शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रमाण पत्र (सी० पी० एड०) कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के योग्य होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त हो। [illegible] राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो उन्हें उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (+2) में [illegible] कम से कम 40% अंक चाहिए।

[illegible] का प्रतिशत [illegible]

घ. एक वर्षीय बी0 पी0 एड0 (बैचलर ऑफ फिजिकल एजूकेशन कार्यक्रम के लिए) बी0 पी0 एड0 कोर्स में नामांकन हेतु वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, जो [illegible] बी0 पी0 एड0 [illegible] स्नातक पाठ्यक्रम अथवा बी0 पी0 ई0 शारीरिक शिक्षा में [illegible] की अवधि का [illegible] परीक्षा पास की हो।

अथवा उसके समतुल्य परीक्षा पास की हो।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद / एथलेटिक्स में राज्य / विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने अन्तर कॉलेज / खेलकूद प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो, जिसके पास एन0 सी0 सी0 'सी0' प्रमाण पत्र हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलों में [illegible] पाठ्यक्रम पास किया हो।

अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद विज्ञान / खेलकूद प्रबंध / खेलकूद कोचिंग योग, ओलम्पिक शिक्षा, खेलकूद, पत्रकारिता आदि में एक वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो।

(ङ) चयन समिति विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर चयन के लिए प्रणाली [illegible] निम्न प्रकार करेगी :–

1. मैट्रिक [illegible] प्राप्तांक
   - द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक
   - 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि
   - 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि
   - 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि
   - 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि
   - 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि
   - कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

2. इंटर प्राप्तांक
   - द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक
   - 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि
   - 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि
   - 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि
   - 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि
   - 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि
   - कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

(6) (7)

...पास कोर्स — द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक

— द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक
— 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि
...फ — 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि
...ांक — 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि
...प्तांक — 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि
...प्तांक — 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि
...प्राप्तांक — कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

स्नातक प्रतिष्ठा — द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 10 अंक
प्राप्तांक — 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि
कुल मिलाकर 15 अंक (10+5)

स्नातकोत्तर — द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर 5 अंक
प्राप्तांक — 60% से 65% तक 1 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 65% से अधिक एवं 70 % तक 2 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 70% से अधिक एवं 75 % तक 3 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 75% से अधिक एवं 80 % तक 4 अंक की वृद्धि
प्राप्तांक — 80% से अधिक 5 अंक की वृद्धि
कुल मिलाकर 10 अंक (5+5)

प्रवेश हेतु कुल मेधांक — 45

एन0 सी0 सी0 — बी0 सर्टिफिकेट — 2 अंक
एन0 सी0 सी0 — सी0 सर्टिफिकेट — 3 अंक
खेलकूद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो — 3 अंक
खेलकूद में जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो — 5 अंक

कुल मिला के 45 + 5 = 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों [illegible]
प्राथमिकता दी जाएगी। यदि भर्ती कुछ समान हुए हों जिस [illegible]
तिथि पूर्व की हो उन्हें जन्म तिथि के आधार पर वरीयता में प्राथमिकता दी जाएगी।

आवासीय : केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो

(i) वे झारखण्ड की भौगोलिक सीमा में पैदा हुए हों अथवा

(ii) क. वे [illegible]

ख. उनके पालकों (Parents) में से कोई

ग. उनके पालकों (Parents) में से कोई जीवित न हो [illegible]

अभिभावक (Parents) झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में निरन्तर [illegible]

कम से कम 15 वर्षों से रह रहे हों अथवा

उनके पालकों (Parents) में से कोई भी [illegible]

झारखण्ड राज्य शासन में सेवारत हो या सेवा निवृत्त कर्मचारी हो अथवा

ख. जिनके पालकों (Parents) में से कोई भी भारत सरकार के कर्मचारी हो

और प्रतिनियुक्ति पर झारखण्ड राज्य में या झारखण्ड में [illegible]

सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों / संस्थानों के कर्मचारी हो अथवा

(iv) क. वे स्वयं [illegible]

ख. उनके पालकों (Parents) में से कोई भी झारखण्ड राज्य की भौगोलिक

सीमा में पिछले 5 वर्षों से कोई अचल संपत्ति / [illegible]

रखते हों।

(v) क. उसने अपनी शिक्षा झारखण्ड के किसी भी शिक्षण संस्थान में [illegible]

7 वर्षों तक प्राप्त की हो अथवा

ख. यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता [illegible]

विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो [illegible]

माध्यमिक परीक्षा

(i) यदि संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता [illegible]

प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित की गई हो तो

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की हो।

(ii) झारखण्ड को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की

संताने एवं उनकी पत्नी / पति को।

(iii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति की पत्नी / पति हो।

(iv) आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, और यदि वह सैनिक सेवा के कारण झारखण्ड में पदस्थापित नहीं हो सका है तो वे आवेदन के योग्य होंगे भले ही उसने राज्य के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं प्राप्त की हो. यह सुविधा केवल सैनिक सेवा अधिकारियों / कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(v) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण पत्र में छूट अनुमान्य होगी।

(vi) ऐसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित परिवारों के हो तथा जिनके पालको (Parents) में से कोई भी झारखण्ड में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हो;

(vii) झारखण्ड के माननीय सांसदों / पूर्व सांसदों / विधायकों / पूर्व विधायकों / पूर्व पार्षदों एवं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आलोक में झारखण्ड राज्य के पार्षदो के पुत्र / पुत्रियाँ हों;

(viii) इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उन्हीं आवेदकों को जारी किया जाएगा जो किसी अन्य राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र से आच्छादित न हों।

6. उम्र सीमा :-

इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 1ली जुलाई को की जाएगी। अर्थात शैक्षणिक सत्र 2004—2005 के लिए उम्र 1ली जुलाई से 18 वर्ष होगी।

7. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी० एड०) एवं राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में नामांकन शुल्क :-

नामांकन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जमा किए जायेंगे। इसके साथ 100 रू० (एक सौ रुपए) सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 30 (तीस रुपए) का शुल्क देय होगा। यह शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवदेन पत्र के साथ संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्थानीय प्रधान शाखा में भुगतेय होगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बाएँ कोने पर आवेदक का नाम अंकित होगा। आवेदन पत्र एवं प्रशिक्षण नियमावली समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित किया तथा भरा हुआ आवदेन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ संयोजक के

की निर्धारित तिथि तक जमा होगा। नामांकन के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से
1,000 (तीन हजार रूपये) तथा अ० जाति / अ० जन जाति के उम्मीदवारों से 1,000 (एक
हजार) लिया जाएगा। इसी तरह परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के समय सामान्य कोटि
के उम्मीदवारों से पुनः 1,500 (एक हजार पाँच सौ रूपये) लिए जाएंगे एवं एस टी / एस
सी के उम्मीदवारों से 500 (पाँच सौ रूपये) लिये जाएगें।

इसके अतिरिक्त सभी कोटि के नामांकित उम्मीदवारों से प्रतिमाह निम्नांकित शुल्क
लिए जाएगे।

(क) छात्र कोष —		—	100.00 (प्रति माह)
	(i) क्रीड़ा	—	100.00 (प्रति माह)
	(ii) कामनरूम	—	100.00 (प्रति माह)
	(iii) विद्युत, प्रसार एवं अन्य व्यय	—	200.00 (प्रति माह)
(ख)	शिक्षण शुल्क	—	500.00
	कुल		(पाँच सौ रूपये)
(ग)	महाविद्यालय विकास कोष		1,000.00 (प्रशिक्षण अवधि में एक बार)

नामांकित उम्मीदवारों से प्राप्त राशि संबंधित महाविद्यालयों / डायट के प्राचार्य /
प्राचार्या के पदनाम से बैंक खाते में जमा रहेगी तथा जिन मदो के लिए राशि ली जा रही
है उसी मद में व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। विकास कोष एवं
छात्र कोष की राशि के व्यय के लिए महाविद्यालय में एक प्रबन्ध समिति निम्न रूप में
गठित होगी —

प्राचार्य / प्राचार्या	—	अध्यक्ष
संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक	—	सदस्य
वरीयतम व्याख्याता	—	सदस्य
प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधि	—	सदस्य

प्रवेश शुल्क एवं मासिक शिक्षण शुल्क की राशि चालान द्वारा 2202 सामान्य शिक्षा
के अन्तर्गत कोषागार में प्राचार्य के द्वारा प्रतिमाह जमा की जाएगी।
सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त निजी
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का निर्धारण का काम
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य के निजी तकनीकी संस्थानों में विज्ञान